पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 538/2018

==========

अनामिका प्रणव, पुत्री- स्वर्गीय डॉ. भगवान दास भगत अभिषेक प्रणव की पत्नी, मोहल्ला- राजेंद्र नगर, थाना- बहादुरपुर, शहर और जिला- पटना के निवासी।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

अनिल कुमार चौधरी, स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद चौधरी के पुत्र, योगेंद्र मुखर्जी रोड, थाना- नगर जिला- मुज़फ़्फ़रपुर के निवासी हैं।

..... उत्तरदाता

==========

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 33

न्यायालय के सम्मूख कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि साक्षी के परीक्षण एवं आंशिक प्रतिपरीक्षण हो चुके हैं और उसके बाद साक्षी की मृत्यु हो जाती है जिसके फलस्वरुप उस साक्षी का प्रतिपरीक्षण पूरा नहीं किया जा सका, तो क्या उस गवाह की गवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-33 के अन्तर्गत ग्राह्य है।

न्यायालय ने वी.एम. मैथ्यूस बनाम एस्. शर्मा(1995)6 एस सी सी 122 तथा माउन्ट होरिल कुअर बनाम रजब अलि ए.आई.1936 पैरा 34 पर भरोसा किया तथा निर्णित किया की ऐसे गवाह का साक्ष्य ग्राह्य होगा तथा अभिलेख पर रखा जाएगा और न्यायालय इस प्रकार उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ इसके प्रमाणक या साक्ष्यात्मक मूल्य या प्रासांगिकता पर विचार करेगा जो स्पष्ट रुप से मामले दर मामले पर निर्भर करता है।

(पारा 3,9,11,12,14 और 15)

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 538/2018

==========

अनामिका प्रणव, पुत्री- स्वर्गीय डॉ. भगवान दास भगत अभिषेक प्रणव की पत्नी, मोहल्ला- राजेंद्र नगर, थाना- बहादुरपुर, शहर और जिला- पटना के निवासी।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

अनिल कुमार चौधरी, स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद चौधरी के पुत्र, योगेंद्र मुखर्जी रोड, थाना- नगर जिला- मुज़फ़्फ़रपुर के निवासी हैं।

..... उत्तरदाता

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री अर्जुन कुमार, अधिवक्ता

श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिएः श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

कैव निर्णय

दिनांक: 08-02-2023

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. वर्तमान आवेदन 2013 के स्वत्व वाद संख्या- 1482 में विद्वान अवर न्यायाधीश-VII, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा पारित दिनांक 16.09.2017 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी की याचिका को स्वीकृत करते हुए अभि.सां.-3, पद्म रमन पाठक के साक्ष्य को हटाने की अनुमति दी, जिनकी परीक्षण और आंशिक प्रतिपरीक्षण के बाद मृत्यु हो गई थी।

3. तथ्य, संक्षेप में, यह है कि याचिकाकर्ता/वादी ने 2013 का मुकदमा संख्या 1482 द्वारा यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि बिक्री विलेख संख्या 8233 दिनांकित 19.03.2013 अमान्य, धोखाधड़ी वाली, अवैध, निष्क्रिय और बिना प्रतिफल है और वादी की अनुसूची-1 में वर्णित वाद संपत्ति के किसी भी हिस्से पर प्रतिवादी/उत्तरदाता को कोई अधिकार या हित प्रदान नहीं किया है।

विचारण के दौरान वादी ने पद्म रमन पाठक (अभि.सा.-3) को पेश किया, जिनकी परीक्षण 23.05.2017 को दायर की गई थी, जिसके बाद प्रतिवादी ने कथित गवाह से आंशिक रूप से जिरह की और इसे आगे की जिरह के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उक्त गवाह की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना अदालत को दी गई। प्रतिवादी ने अभि.सा.-3, पद्म रमन पाठक के साक्ष्य को हटाने के अनुरोध के साथ 11.07.2017 दिनांकित एक याचिका दायर की, क्योंकि उनकी प्रतिपरीक्षा पूरी नहीं की जा सकती थी, जिसे आक्षेपित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि निचली अदालत ने गवाह अभि.सा.-3 के साक्ष्य को हटाने के लिए प्रतिवादी की याचिका को अनुमति देने के संबंध में कोई कारण नहीं बताया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि किसी गवाह की मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में उसकी परीक्षण और उसकी जिरह के बीच उसके द्वारा पहले दिए गए साक्ष्य स्वीकार्य हैं, हालांकि इससे जुड़े महत्व की मात्रा निश्चित रूप से तथ्य का प्रश्न है, लेकिन वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने पूरी तरह से अभि.सा-3 के साक्ष्य को हटा दिया है जो अनुमेय नहीं है।

5. हालाँकि, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि जब तक गवाह से जिरह नहीं की जाती, तब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के दूसरे परंतुक का प्रभाव लागू नहीं होता है और इसलिए, आक्षेपित आदेश सही ढंग से पारित किया गया था क्योंकि यह अभि.यस.-3 के साक्ष्य को हटाने से संबंधित है।

6. इस आवेदन में शामिल मुद्दा यह है कि क्या विद्वत विचारण न्यायालय ने अभि.सा.-3 के साक्ष्य (परीक्षण और आंशिक प्रतिपरीक्षण) को हटाने में त्रुटियां की है, जिनकी आगे की प्रतिपरीक्षा के पूरा होने से पहले मृत्यु हो गई थी या उन्हें साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के सीमित उद्देश्य के लिए जीवित रखने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

7. इस संबंध में, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 33 के प्रावधानों को तैयार संदर्भ के लिए उद्धृत करना प्रासंगिक होगाः

"**33. बाद की कार्यवाही में, तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के लिए कुछ साक्ष्यों की प्रासंगिकता में कहा गया हैः-**

न्यायिक कार्यवाही में एक गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य, या इसे लेने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, बाद की न्यायिक कार्यवाही में, या उसी न्यायिक कार्यवाही के बाद के चरण में, उन तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है जो यह

बताता है कि जब गवाह मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है, या सबूत देने में असमर्थ है, या प्रतिकूल पक्ष द्वारा रास्ते से बाहर रखा गया है, या यदि उसकी उपस्थिति देरी या खर्च की राशि के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो मामले की इन परिस्थितिथियों के तहत, अदालत अनुचित मानती हैः

बशर्ते

- कि कार्यवाही उन्हीं पक्षों या उनके प्रतिनिधियों के बीच हित में थी;

- कि पहली कार्यवाही में विपक्षी को जिरह करने का अधिकार और अवसर था;

- कि मुद्दे में प्रश्न काफी हद तक पहली कार्यवाही में दूसरे कार्यवाही के समान थे।

स्पष्टीकरण- आपराधिक विचारण या जाँच को इस धारा के अर्थ में अभियोजक और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही माना जाएगा।"

8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 33 बाद की कार्यवाही में उसमें बताए गए तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के लिए कुछ साक्ष्यों की प्रासंगिकता से संबंधित है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी पूर्ववर्ती न्यायिक कार्यवाही में या साक्ष्य लेने के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष किसी गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य बाद की न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के बाद के चरण में प्रासंगिक है, ताकि उसमें निहित तथ्यों की सच्चाई को साबित किया जा सके, यदि धारा में उल्लिखित कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं। मृत गवाह जिसकी गवाही ग्रहण की जाती है, उसकी मृत्यु पहले साबित किया जाना चाहिए दि इसे दूसरा पक्ष स्वीकार नहीं कर लें।

9. **वी. एम. मैथ्यूज बनाम एस. शर्मा (1995) 6 एस. सी. सी. 122, (ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 109)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के दूसरे परंतुक को देखते हुए, पिछली कार्यवाही में एक गवाह का

साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत तभी स्वीकार्य होगा जब विपक्षी पहली कार्यवाही में गवाह से जिरह करने का अधिकार और अवसर था।

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के दूसरे परंतुक में उपयोग किए गए शब्दों "कि पहली कार्यवाही में विपक्षी को जिरह करने का अधिकार और अवसर था" की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि "विपक्षी ने वास्तव में ऐसे गवाह से जिरह की थी।

इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 का दूसरा परंतुक "पिछली कार्यवाही" में प्रतिपरीक्षा किए गए गवाह से संबंधित है, लेकिन वर्तमान मामले में, प्रतिपरीक्षा का अवसर उसी कार्यवाही में उपलब्ध था और किसी भी बाद की कार्यवाही या उसी कार्यवाही के बाद के चरण के लिए संदर्भित नहीं था, जो एक मामला हो सकता है, उदाहरण के लिए, जब एकतरफा डिक्री वापस हो जाती है और वादी गवाह को प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार और/या अवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के दूसरे परंतुक के आधार पर प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें स्वीकार्य नहीं पाई जाती हैं।

11. जिरह द्वारा बिना साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं हो सकता है लेकिन साक्ष्य को अग्राह्य रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सही नियम यह है कि साक्ष्य ग्राह्य है लेकिन इस तरह के साक्ष्य के साथ दिया जाने वाला महत्व प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होना चाहिए और यह कि यद्यपि कुछ मामलों में न्यायालय उस पर कार्रवाई कर सकता है, यदि अभिलेख पर अन्य साक्ष्य हैं, तो इसका प्रमाणक मूल्य बहुत कम हो सकता है और इसकी अवहेलना भी की जा सकती है। न्यायालय को यह देखने के लिए साक्ष्य को ध्यान से देखना चाहिए कि क्या इस बात के संकेत हैं कि एक पूर्ण प्रतिपरीक्षा से गवाह की गवाही के गंभीर रूप से कमजोर होने की संभावना थी या उसके विश्वसनियता पर सफलतापूर्वक अधिपेक्षित किया जा सकता है। यदि साक्ष्य अग्राह्य है तो न्यायालय इस पर बिल्कुल भी विचार करने का हकदार नहीं है, जबकि यदि यह ग्राह्य है तो न्यायालय को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या इससे कोई महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं।

12. **माउंट होरिल कुएर और एक अन्य बनाम रजब अली और अन्य** ने **ए. आई. आर. 1936 पैट 34 (1935 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 208)** में माननीय पटना उच्च न्यायालय इस अदालत ने कई निर्णयों की समीक्षा के पश्चात अवधरित किया कि जब एक गवाह की मुख्य जांच के बाद और उसकी जिरह समाप्त होने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका साक्ष्य स्वीकार्य होता है, लेकिन उससे जुड़े महत्व की मात्रा मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। **श्रीकिशुन झुनझुनवाला बनाम एम्परर्र ने ए.आई.आर. 1946 पैट 384 (1946 एस. सी. सी. में ऑनलाइन पैट 196)** भी न्यायालय ने ऐसा ही विचार रखा था एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **अहमद अली बनाम जोती प्रसाद (ए. आई. आर. 1944 ऑल। 188)** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम में निश्चित रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शपथ लेकर खुले न्यायालय में जिस गवाह से पूछताछ की गई है, उसके साक्ष्य को अलग रखा जाएगा क्योंकि दूसरे पक्ष के लिए उससे जिरह करना संभव नहीं है।

13. **श्री कुमार मुखर्जी बनाम अविजीत मुखर्जी और अन्य (2015 एससीसी ऑनलाइन) कैल 6445** में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 12 में कहा कि "इसलिए, यह स्थापित कानून है कि एक गवाह के साक्ष्य, जिसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकी थी, को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन न्यायालय अन्य साक्षायात्मक या प्रमाणक मूल्य पर विचार करेगा।

14. उपर्युक्त उल्लिखित निर्णयों में निर्धारित निर्णायाधार एक ही है कि ऐसे गवाह का साक्ष्य अभिलेख में रखा जायेगा और न्यायालय इस प्रकार उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ इसके प्रमाणक या साक्ष्यात्मक मूल्य या प्रासंगिकता पर विचार करेगा, जो स्पष्ट रूप से मामले-दर-मामले पर निर्भर करता है।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2013 के शीर्षक वाद संख्या 1482 में विद्वान उप-न्यायाधीश-VII, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा पारित दिनांक 16.09.2017 का आक्षेपित आदेश,

अभिलेख से अभि.सा.-3 के साक्ष्य को हटाने के कारण, टिकाऊ नहीं है। यह माननीय वी. एम. मैथ्यू (उपरोक्त) और शशि जेना (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अच्छी तरह से तय किए गए कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः, उक्त आदेश को अधिकारिता संबंधी त्रुटियां से दूषित माना जाता है, जिसे इस न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के अधीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ठीक करने की आवश्यकता है। तदनुसार, 2013 के टी. एस. संख्या 1482 में विद्वान उप-न्यायाधीश-III, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा पारित उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 16.09.2017 को दरकिनार किया जाता है। परिणामस्वरूप, पद्म रमन पाठक (अभि.सा.3) अभिलेख में रखा जाता है।

16. नतीजतन, वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है।

17. पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

18. अलग होने से पहले, यह न्यायालय यह कहना चाहता है कि विद्वान वकील द्वारा पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, मैंने अधिवक्ता श्री जे. के. वर्मा से *न्यायमित्र* के रूप में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध करना उचित समझा। उन्होंने न्यायालय की सहायता की और न्यायालय को के सम्मुख बहुत से निर्णय ध्यान में लाने में सहायता की, जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया है। मैं इस न्यायालय के अधिवक्ता श्री जे. के. वर्मा द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करता हूं।

कमलेश/-

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्या.)

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।